भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 1099

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 दिसंबर, 2015 को दिया गया)

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा पंजीकृत मामले

1099. श्री रामचरण बोहरा :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा कितने मामले पंजीकृत किए गए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने मामलों का निपटान किया गया;

(ग) क्या एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को अपनी जिम्मेदारियों को संतोषजनक ढंग से पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरूण जेटली)**

(क): एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापार व्यवहार (एमआरटीपी) अधिनियम, 1969 को दिनांक 01.09.2009 से निरस्त (रिपील) कर दिया गया है और एमआरटीपी आयोग दिनांक 14.10.2009 से समाप्त कर दिया गया है।

(ख) से (घ): प्रश्न नहीं उठता है।

*****